

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018

जयपुर, दिनांक : 27.07.2018

आदेश


मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 11681/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2018 की पालना में डा. शारदा मील द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.05.2018 के द्वारा डा. शारदा मील, कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) का राजकीय चिकित्सालय, नीमकाथाना, सीकर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डेला, सीकर में किया गया स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप डा. मील राजकीय चिकित्सालय, नीमकाथाना, सीकर में यथावत पदस्थापित रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर
- 5- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, नीमकाथाना, सीकर
- 6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर
- 7- संबंधित अधिकारी
- 8- कम्प्यूटर सेल
- 9- निजी /रक्षित पत्रावली

  
(ओ. पी. वर्मा)  
शासन सहायक सचिव